


36



न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी

R 1398 - 4-17

श्री. एम. पी. शाकट प्र. प्र.
द्वारा आज दि. 18.05.17 को
प्रस्तुत

अरुन कुमार दुवे पुत्र श्री महावीर प्रसाद
दुबे निवासी दुबे कॉलोनी गल्ला मंडी रोड
अशोकनगर जिला अशोकनगर म.प्र.

व. प्र. 18-5-17
प्लेक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.....आवेदक

बनाम

1. राजू पुत्र श्री भगवत कुशवाह
2. कृष्णपाल सिंह यादव पुत्र श्री
निवासीगण कारीगर मोहल्ला राजश्री होटल
के सामने अशोकनगर जिला अशोकनगर
म.प्र.

.....अनावेदकगण

S. K. Sharma (M)
18-5-17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय
तहसीलदार अशोकनगर जिला अशोकनगर के प्र.क.
209/बी-121/15-16 में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2017 के विरुद्ध
निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-


1. यह कि, उक्त निगरानी को प्रभावित करने वाले तथ्य इस प्रकार है कि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अशोकनगर के सर्वे क. 678 में से भूमि विक्रय कर स्थल पर सर्वे क. 677 पर कब्जा के सम्बन्ध में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1398-दो/17

जिला - अशोकनगर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला अशोकनगर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>कलेक्टर जिला अशोकनगर</u></p>	